



2026:AHC:65683

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 9749 वर्ष 2026

हरखुराम उर्फ दीपक आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सब्या साची राय, सुनील कुमार राय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 67

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री सब्या साची राय, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन केस अपराध संख्या-392 वर्ष 2025 में बी.एन.एस., 2023 की धारा 103(1) के तहत, थाना-फेज-1, जिला-गौतम बुद्ध नगर में सुनवाई के लंबित रहने के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क यह है कि प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग 17 दिनों की की देरी हुई है, जो केवल आशंका और संदेह के आधार पर दर्ज की गई है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक का लावारिस शव 01.09.2025 को बरामद किया गया था, और उसी दिन शव परीक्षण परीक्षा भी की गई थी। इसके बाद, 16.09.2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई और 18.09.2025 को खून से सने चाकू की बरामदगी के आधार पर आवेदक को झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा, आवेदक के मोबाइल फोन का सीडीआर स्थान संबंधित समय पर घटना के स्थान से अलग पाया गया था, और यह दिखाने के लिए कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री या सबूत नहीं है कि मृतक को अंतिम बार आवेदक की कंपनी में देखा गया था। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 18.09.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सका।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और अवर न्यायालयों के समक्ष भीड़भाड़ वाली जेलों और आपराधिक मामलों के भारी लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के जनादेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किये जाने का हकदार है।**

6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- हरखुरम उर्फ दीपक को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
- ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।
- iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और ज़मानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर जारी किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ज़मानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह ज़मानत देने के लिए नीतिगत रणनीति के मामले में शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से आवेदक को, इन रे: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (क्रिल०) संख्या-4 वर्ष 2021 31.01.2023 को तय की गई (2024)10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट की गई, इस आदेश की एक प्रति भेजे।

मार्च 30, 2026

एस.सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)